



वषिक्त पदार्थों से संदूषति स्थल

प्रीलमिस के लिये:

वषिक्त पदार्थ जनति संदूषण

मेन्स के लिये:

संदूषण का नियमन

चर्चा में क्यों?

'केंद्रीय परदूषण नयित्रण बोर्ड' (Central Pollution Control Board- CPCB) द्वारा जारी हाल ही के आँकड़ों के अनुसार, भारत में कुल 324 संभावति वषिक्त पदार्थ संदूषक स्थलों में से 128 को वषिक्त और खतरनाक पदार्थों से दूषति पाया गया, जबकि 196 स्थलों के परणामों की अभी पुष्टि की जानी है।

मुख्य बढि:

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ऐसे स्थलों की नगिरानी कर रहा है तथा जनि स्थलों को दूषति पाया जाता है उनकी सफाई की व्यवस्था करता है।
- इन संदूषति स्थलों की सफाई के लिये वसित्त परयोजना रिपोर्ट का अनुपालन '[राष्ट्रीय हरति अधकिरण](#)' (National Green Tribunal- NGT) के नरिदेशों के अनुसार होता है।

खतरनाक रासायनकि संदूषक: वे होते हैं जो-

- एक बड़ी आपदा का कारण बन सकते हैं।
- जो अत्यधिक वषिक्त तथा परदूषणकारी हैं।
- कचरा उत्पन्न करते हैं तथा जनिका सुरक्षति और पर्याप्त रूप से नपिटान नहीं जा सकता है।

खतरनाक संदूषकों का आयात, खरीद एवं बकिरी, भंडारण, परविहन, लेबलकि, रकिर्ड तथा बकिरी दस्तावेजों का रखरखाव के माध्यम से सुरक्षति रूप से नपिटान कया जाता है।

प्रमुख संदूषति स्थल:

- ऐसे संदूषति स्थलों के मामलों में पश्चमि बंगाल (27 स्थल) तथा ओडिशा (23 स्थल) शीर्ष पर हैं।
- एजेंसियों ने 6 राज्यों- केरल, ओडिशा, तमलिनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चमि बंगाल, मध्य प्रदेश में ऐसे 20 स्थलों की सफाई करने के लिये एक वसित्त परयोजना रिपोर्ट या कार्ययोजना (Plan of Action) तैयार की है।

संदूषण स्थल तथा कारक:

संदूषण स्थल

तमलिनाडु

एलोर (केरल)

रनयिा (उत्तर प्रदेश)

मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)

कोडाइकनाल (तमलिनाडु), गंजम (ओडिशा)

संदूषण कारक एवं कारण

- भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की भूमगित तेल पाइपलाइनों के तेल रसिाव के कारण तेल संदूषण
- कीटनाशक एवं भारी धातु के कारण खाड़यियों में संदूषण
- क्रोमियम संदूषण
- रामगंगा नदी के तट पर इलेक्ट्रॉनकि कचरे का अनुचति तरीके से नपिटान
- मट्टिटी में पारे का संदूषण

खराब रिकॉर्ड:

- स्वतंत्र संगठनों के अनुसार, रासायनिक दुर्घटनाओं से नपिटने में भारत का खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।
- 'टॉक्सिक लिंक' (Toxics Link) संगठन जो क खतरनाक अपशष्टि नपिटान की दशा में कार्य करता है, के अनुसार, वर्ष 2016-2019 के बीच औसतन प्रतमाह चार प्रमुख रासायनिक दुर्घटनाएँ दर्ज की गई हैं, जबकि अनेक दुर्घटनाओं को वधिवित दर्ज ही नहीं किया गया।
- NGT द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट के अनुसार, खतरनाक अपशष्टि (Hazardous Waste- HW) प्रबंधन की दशा में अब तक तैयार की गई इन्वेंटरी (पर्याप्त संसाधन) समग्र समाधान करने में कारगर नहीं है।

संदूषण के प्रमुख कारण:

- नदी जल के भारी धातु से संदूषित होने का मुख्य कारण खनन, कबाड़ उद्योग तथा धातु सतह परष्करण उद्योग हैं जो पर्यावरण में वभिन्न प्रकार की जहरीली धातुओं को मुक्त करते हैं।
- पछिले कुछ दशकों में नदी के पानी और तलछटों में भी इन भारी धातुओं की सांद्रता तेज़ी से बढ़ी है। नदी जल संदूषण का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ कृषि तथा औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि है।
- भारत में मौसम के आधार पर भी संदूषण के स्तर में बदलाव देखा जाता है। उदाहरण के लिये मानसून के दौरान गंगा नदी में लोहे द्वारा संदूषण अधिक देखा जाता है लेकिन गैर-मानसून अवधि के दौरान इसमें काफी गिरावट देखी जाती है।

आगे की राह:

- ऐसे उद्योग कषेत्रों की पहचान करना जहाँ रसायन एवं अपशष्टि पदार्थ चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
- संवाद शुरू करने हेतु संबंधित उद्योग कषेत्रों, संगठनों और समूहों को संलग्न करना।
- संकट एवं जोखिमों से नपिटने हेतु संचार सुनिश्चित करना, सुरकषति वकिलों हेतु जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण एवं अवसरों की पहचान करने की दशा में कार्य करना होगा।

स्रोत: द हद्दि

